**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 214**

**सोमवार, 04 अगस्त, 2025 / 13 श्रावण, 1947 (शक)**

**ईएलआई योजना के अंतर्गत कर छूट**

***214. श्री भर्तृहरि महताबः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारियों के वेतन स्तर और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अंशदान जैसे समाजिक सुरक्षोपायों में सुधार हेतु रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को राजकोषीय प्रोत्साहन या कर छूट प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या ये प्रोत्साहन प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना (पीएमआईएस) या ईएलआई ढांचे के अंतर्गत केवल बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

**"ईएलआई योजना के अंतर्गत कर छूट" के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 214* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 01.07.2025 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया। इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्षों की है और वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय है। इस योजना के दो भाग अर्थात भाग क और भाग ख हैं, तथा यह प्रोत्साहनों के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना भाग क के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान करती है। योजना के भाग ख के अंतर्गत नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी और साथ ही इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

*****